<u>राजस्थान–सरकार</u>

<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)</u>

<u>पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या :– 184 / 2022

बउनवान

गेन्दीलाल पुत्र श्री बंशीलाल जाति अहीर निवासी धोलाडा तहसील छबड़ा

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छबड़ा जिला बाराँ

(रेस्पोडेन्ट)

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थित :– 1– श्री संजय नागर अभिभाषक (अपीलांट)

2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

<u>निर्णय दिनांक 26.05.2022</u>

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 1506 / 2022 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 21.02.2022 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम धोलाडा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2078 मे खसरा नम्बर 67 की रकबा 1 बीघा भूमि पर फसल सरसों की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 50 /– रूपये तावान राशि से दण्डित किया है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 18.05.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली पत्रांक 533 दिनांक 18.05.2022 से प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अपीलांट को वाके ग्राम धोलाडा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2078 मे खसरा नम्बर 67 की रकबा 1 बीघा भूमि पर फसल सरसों की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 50 /– रूपये तावान राशि से दण्डित किया है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है तथा तावान राशि भी जमा करा [illegible] है। अधी[illegible] द्वारा उक्त निर्णय की पालना में अपीलांट को दिनांक 16.05.2022 को जैल भिजवा दिया ग[illegible] है। [illegible]लांट द्वारा कब्जा छोड़ने बाबत् पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 24.05.2022 भी प्राप्त की जाकर शा[illegible] पत्रावली कर दी गई है। अपीलांट की ओर से शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया है कि ग्राम धो[illegible] तहसील छबड़ा के खसरा नं0 67 रकबा 01 बीघा पर से मैंने अपना कब्जा छोड़ दिया है। अब मैं भविष्य में उक्त विवादित आराज[illegible] किसी प्रकार का कब्जा नहीं करूंगा। अपीलांट को यदि उक्त निर्णय की [illegible]ना में जैल में हीं रहन[illegible] तो अपीलांट का इस न्यायालय में अपील करना व्यर्थ हो जाएगा। अपीलांट गरीब व्यक्ति है तथा परिवार में कमाने वाला कोई अन्य सदस्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई 90 दिन की सजा में से अब तक भुगती गई सजा को छोड़कर शेष सजा माफ की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:35:30 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सरसों की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा पूर्व मे भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तावान राशि से दण्डित किया जाकर मौके पर भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2078 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। प्रकरण में अतिक्रमित रकबा 01 बीघा कम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट द्वारा दिनांक 16.05.2022 से अब तक भुगती गई सजा को छोड़कर शेष सजा माफ की जा सकती है।

प्रकरण में उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई थी। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा में उपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये है और अपीलार्थी को पटवारी के बयानो में जिरह का अवसर नहीं दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नहीं लिये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनीकी त्रुटि होना पाया जाता है। अपीलांट द्वारा कब्जा छोड़ने बाबत् पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 24.05.2022 भी प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली कर दी गई है। अपीलांट की ओर से शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया है कि ग्राम धोलाडा तहसील छबड़ा के खसरा नं0 67 रकबा 01 बीघा पर से मैंने अपना कब्जा छोड़ दिया है। अब मैं भविष्य में उक्त विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं करूंगा।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 1506/2022 में अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत पारित आदेश दिनांक 21.02.2022 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा की पालना में अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा द्वारा दिनांक 16.05.2022 को गिरफ्तार किया जाकर जैल भिजवा दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा अब तक भुगती गई सजा को छोड़कर अपीलांट की शेष सजा माफ की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **26.05.2022** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:35:30 IST
Reason: SelfAttested